A

(TO BE PUBLISHED IN SUB-SECTION (11), SECTION 3,

PART-II OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,

DATED THE 31ST JANUARY, 1996)

Government of India Ministry of Home Affairs

New Delhi, the 31st January, 1996.

NOTIFICATION

S.O. 84 (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby prescribes that the quorum necessary for the transaction of business at the meeting of the New Delhi Municipal Council shall be five members out of which at least two of the members shall be those who are members of the Council under clauses (b) and (d) of sub-section(1) of section 4 of the said Act.

|200 31 | 196.

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

(File No.U-11013/7/94-UTL)

शासत के राजपत्र, असाधारण, उपयण्ड []] । 31-1-1996 को प्रकाशनार्थ [

भारत सरकार

नर्ब दिल्ली - 110001

अ ि ध सु च न T

काठआठ% अठ विल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994

1994 का 44 की धारा 24 की उप-धारा १। इति प्रदास विल्यों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्धारित करती है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की बैठक में कार्य संवालन के लिए आदश्यक कोरम पांच सदस्य होगा जिसमें से कम से कम दो सदस्य वह होंगे जो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा १। विख्य खण्ड १४ तथा १४ के अन्तर्गत परिषद के सदस्य हों।

20031/1/8C

१ राजीव रत्न शास १ संयुक्त सचिव, भारत सरकार १ एफ सं० यू -- 11013/7/94-यू री • एल • १